शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार
प्रकाशन का 47 वां वर्ष
ई–पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
वर्ष 47 अंक–42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 10–17 अक्तूबर 2022 मूल्य पांच रूपए

डवैल्पमैन्ट प्लान का अवैध घोषित होना जयराम सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा

शिमला/शैल। एनजीटी ने 14 अक्तूबर को दिये अपने फैसले में जयराम सरकार द्वारा लायी गयी शिमला डवैल्पमैन्ट प्लान को न केवल अवैध करार दिया है बल्कि एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत गैर कानूनी प्रयास भी करार दिया है। एनजीटी ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह का प्रयास अधिनियम की धारा 26 के तहत दण्डनीय अपराध है और संबद्ध विभागों के अधिकारी धारा 28 के तहत अपराधिक अभियोजन के अपराधी है।

स्मरणीय है कि एनजीटी का मूल फैसला 16–11–2017 को आया था। इसके खिलाफ हिमाचल सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जिसकी सुनवाई 08–07– 2019 को हुई। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय से स्टे न होने का अर्थ है कि फैसले की अनुपालना किया जाना अनिवार्य है। यह फैसला 16–11–2017 को आया था इसलिये इसकी अनुपालना की जिम्मेदारी तब बनी जयराम सरकार पर आती है। लेकिन इस सरकार ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में ही करीब डेढ़ वर्ष का समय लगा दिया। शायद इसी समय के दौरान मुख्यमंत्री के आवास और ओवर में ही कुछ निर्माण हो गये। ओक ओवर शहर के कोर एरिया में आता है और एनजीटी ने कोर एरिया में किसी भी तरह के नये निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है। इस वस्तु स्थिति में जब एनजीटी के फैसले की अवहेलना मुख्यमंत्री के आवास से शुरू हो जाये तो उसका पूरे प्रदेश में कहां तक असर जायेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

इस समय प्रदेश उच्च न्यायालय में इस दौरान हुए अवैध निर्माणों को लेकर एक याचिका विचाराधीन चल रही है। इस याचिका में 25000 अवैध निर्माण होने का आरोप लगाया गया है। माना जा रहा है कि सरकार इन निर्माणों को इसलिये नहीं रोक पायी क्योंकि एनजीटी के निर्देशों के बावजूद ओकओवर और सचिवालय तक में निर्माण कार्य जारी थे। अब जब संबद्ध विभागों के खिलाफ एनजीटी ने अपराधिक आयोजन की संस्तुति की है तब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ऐसी कारवाई कर पाती है या नहीं। एनजीटी के आदेश को जब डिक्री का दर्जा हासिल है तो उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस फैसले की अनुपालना के अतिरिक्त सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था। कानून की इतनी स्पष्ट स्थिति और शहरी विकास मंत्री के स्वयं कानून विद होने के बावजूद यह स्थिति क्यों पैदा हो गयी। अब जब यह चुनावी वक्त में सरकार के कार्यो पर चर्चाएं चलेगी तब ओकओवर से शुरू होकर पूरे प्रदेश तक फैली अवैधता को कौन और कैसे जायज ठहरा पायेगा?

- ❖ क्या एनजीटी के फैसले के बाद ओकओवर में हुआ निर्माण अवैध नहीं है?
- ❖ प्रदेश में हुए करीब 25000 अवैध निर्माणों का दोषी कौन होगा
- ❖ क्या एनजीटी के निर्देशानुसार संबद्ध विभागों के खिलाफ आपराधिक कारवाई हो पायेगी?

यह है एनजीटी के फैसले के मुख्य बिन्दु

The Issue

Challenge in this application is to the Draft Development Plan, 2041 prepared by the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh on the ground that such plan is contrary to the sustainable development principle and destructive of environment and public safety. The applicant has relied upon Expert Committee reports based on which this Tribunal, vide judgment dated 16.11.2017 in OA121/2014, has already issued regulatory measures required to be adopted in terms of number of floors, restrictions on constructions in core/ green areas etc.

The said directions are still holding the field. There is illegal and ill conceived effort to violate the binding directions of this Tribunal under Section 15 of the NGT, having the force of binding Court decree, subject to further orders only of Hon'ble Supreme Court. Under Section 33 of the said Act, the NGT Act has overriding effect over any other law in force.

Violating such directions is a criminal punishable offence under Section 26 of the NGT Act. Heads of concerned Departments of the State are liable to be prosecuted for such offence under Section 28 of the said Act.

The Tribunal noted that against its judgement dated 16.11.2017 in OA121/2014, the State filed Civil Appeal Diary No. 4763/2019, State of Himachal Pradesh& Ors. vs. Yogendera Mohan Sengupta & Anr. before the Hon'ble Supreme Court which came up for hearing on 08.07.2019 but no stay was granted. Thus, the draft plan was illegal.

3. Finding that prima facie the draft development plan was in violation of orders of this Tribunal, notice was issued to State of Himachal Pradesh and interim injunction was granted against taking further steps in pursuance of the said draft plan.

Core Issue considered

In view of undisputed factual position question is whether it is open to State to issue a 'development plan' in violation of decree of the Tribunal. Further question is whether such action can be justified on the ground that copy of plan was filed in some matter before the high Court or that according to State its action is justified.

Finding

After due consideration of the issue, we are of the view that stand of the State cannot be upheld. Once the Tribunal has adjudicated upon the matter, no further question remains for going into the merits. View already taken is final unless the same is interfered with by a legal forum. There is no jurisdiction with the State to annul or ignore the order of the Tribunal. Any other view will negate the rule of law and defeat the purpose of setting up this Tribunal. State's view is not final in view of overriding provisions of NGT Act by virtue of express provision under section 33. The position is beyond doubt in view of judgment of the Hon'ble Supreme Court in Mantri Techzone Private Limited (Supra):

"44. The NGT Act being a beneficial legislation, the power bestowed upon the Tribunal would not be read narrowly. An interpretation which furthers the interests of environment must be given a broader reading. (See Kishore Lal v. Chairman, Employees' State Insurance Corporation (2007) 4 SCC 579, para 17). The existence of the Tribunal without its broad restorative powers Under Section 15(1)(c) read with Section 20 of the Act, would render it ineffective and toothless, and shall betray the legislative intent in setting up a specialized Tribunal specifically to address environmental concerns. The Tribunal, specially constituted with Judicial Members as well as with Experts in the field of environment, has a legal obligation to provide for preventive and restorative measures in the interest of the environment.

45. Section 15 of the Act provides power & jurisdiction, independent of Section 14 thereof. Further, Section 14(3) juxtaposed with Section 15(3) of the Act, are separate provisions for filing distinct applications before the Tribunal with distinct periods of limitation, thereby amply demonstrating that jurisdiction of the Tribunal flows from these Sections (i.e. Sections 14 and 15 of the Act) independently. The limitation provided in Section 14 is a period of 6 months from the date on which the cause of action first arose and whereas in Section 15 it is 5 years. Therefore, the legislative intent is clear to keep Section 14 and 15 as self contained jurisdictions.

46. Further, Section 18 of the Act recognizes the right to file applications each Under Sections 14 as well as 15. Therefore, it cannot be argued that Section 14 provides jurisdiction to the Tribunal while Section 15 merely supplements the same with powers. As stated supra. the typical nature of the Tribunal, its breadth of powers as provided under the statutory provisions of the Act as well as the Scheduled enactments, cumulatively, leaves no manner of doubt that the only tenable interpretation to these provisions would be to read the provisions broadly in favour of cloaking the Tribunal with effective authority. An interpretation that is in favour of conferring jurisdiction should be preferred rather than one taking away jurisdiction.

47. Section 33 of the Act provides an overriding effect to the provisions of the Act over anything inconsistent contained in any other law or in any instrument having effect by virtue of law other than this Act. This gives the Tribunal overriding powers over anything inconsistent contained in the KIAD Act, Planning Act, Karnataka Municipal Corporations Act, 1976 ("KMC Act"); and the Revised Master Plan of Bengaluru, 2015 ("RMP").A Central legislation enacted under Entry 13 of List I Schedule VII of the Constitution of India will have the overriding effect over State legislations. The corollary is that the Tribunal while providing for restoration of environment in an area, can specify buffer zones around specific lakes & water bodies in contradiction with zoning Regulations under these statutes or the RMP."

10. In Punjab Termination of Agreement Act, 2004, In Re, (2017) 1 SCC 121, it was held:-

" 48. From the abovementioned set up under our Constitution, there is no difficulty in concluding that no Government, whether Central or State can usurp the power of adjudicating disputes vested in the Judiciary including High Courts and the Supreme Court. Further, as a corollary, the judgments and decrees which are the end product of exercise of judicial power cannot be set at naught by the process of legislative declaration in respect of facts and circumstances. As explained already in the main judgment, the situation is somewhat different when a competent legislature engages itself in the exercise of validating a law declared defective or invalid for reasons which are curable."

11. As already mentioned, judgement of this Tribunal is deemed to be decree of Court under section 25 of the NGT Act. Judgements relied upon on behalf of the State do not advance its case. There is no conflicting judgement of the High Court. The Tribunal is not dealing with a fresh matter. There is no occasion to revisit the view already taken which has to be treated as final as far as this Tribunal is concerned.

12. In view of above, we are satisfied that the draft development plan, 2041, being in conflict with the judgement of this Tribunal dated 16.11.2017 in O.A No. 121/2014 (Supra) is illegal and cannot be given effect. Any action taken in violation of the said judgment cannot be validated by the said plan and will remain illegal. We declare accordingly.

राज्यपाल ने नौणी विश्वविद्यालय में 'स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान' विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में 'स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों की भूमिका' विषय पर आयोजित कार्यक्रम

की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें आजादी का अमृत महोत्सव में अपने जनजातीय नायकों के योगदान को याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय वीरों ने न केवल सत्याग्रह किया, बल्कि राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय नायकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि असंख्य जनजातीय नायकों का चरित्र हमारे लिए आदर्श है और उन्हें सदैव याद रखने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान हमें किस दिशा में जाना है, यह तय करने के लिए ऐसे नायकों के बारे में जानना जरूरी है और हर व्यक्ति खास कर युवा पीढ़ी को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए उनके लिए वीरों के बलिदानों को याद रखना बहुत जरूरी है और उनसे सीखने की जरूरत है।

राज्यपाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमें कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को जानने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमारे देश के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने का एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने देश के गौरव के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा लगाई प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जागृत प्रमुख, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भगवान सहाय ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी विशिष्ट संस्कृति है और उस संस्कृति का पालन करके हम समाज को दिशा दे सकते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्रो. विवेक कुमार ने आयोग के कार्यों एवं गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें जनजातीय समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आयोग जनजातीय समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उन्होंने जनजातीय समाज के अस्तित्व, पहचान और विकास के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आयोग ने इस दिशा में व्यापक कार्य और शोध किया है।

डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और कहा कि इस देश के मूल निवासी जनजातीय लोगों के बारे में लोगों की धारणा में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्वविद्यालय हर वर्ष जनजातीय नायकों को याद करने के लिए इस दिन विशेष आयोजन करेगा।

प्रांत अध्यक्ष, हिमगिरि कल्याण आश्रम लछिया राम ने राज्यपाल एवं अन्य का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया।

अधिष्ठाता बागवानी डॉ. मनीष कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने परिसर में ओपन एयर थियेटर का दौरा भी किया।

राज्यपाल ने जीवन रक्षक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, ने राजभवन से लाहौल-स्पीति के लिए जीवन रक्षक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस भारत रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से राज्य रेडक्रॉस को उपलब्ध करवाई गई है।

यह एम्बुलेंस जिला रेडक्रॉस के माध्यम से जनजातीय जिले में सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। इस वर्ष राज्य रेडक्रॉस ने किन्नौर और मंडी के लिए एम्बुलेंस सेवा और सोलन जिला के नालागढ़ के लिए ब्लड कलेक्शन वैन उपलब्ध करवाई है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव तथा राज्य रेडक्रॉस के महासचिव राजेश शर्मा और रेडक्रॉस स्वयंसेवी उपस्थित थे।

युवा विदेशी प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में कोलम्बिया, सेनेगल, पनामा, जर्मनी और डोमिनिकन रिपब्लिक के

प्रतिनिधियों ने भेंट की। यह भेंट जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद द्वारा भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा से रूबरू होने के उद्देश्य से की गई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत में विश्वास रखता है और पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हम अपनी संस्कृति और उच्च परंपराओं के लिए जाने जाते हैं और विस्तारवाद में कभी विश्वास नहीं रखते। लोकतंत्र के बिना दुनिया में शासन संभव नहीं है। भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।

राज्यपाल ने प्रतिनिधियों से देश में महिला सशक्तिकरण, तकनीकी विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए।

राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर समन्वय अधिकारी कमलजीत सिंह ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के एक भाग के रूप में आईसीसीआर के जनरल, नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के तहत निष्पादित सभी गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आईसीसीआर 10 से 19 अक्तूबर, 2022 तक विभिन्न देशों के 22 प्रतिनिधियों के साथ छठे बैच के दौरे का आयोजन कर रहा है। ये युवा प्रतिनिधि उद्यमों के सदस्य तथा अपने-अपने देशों के उभरते हुए नेता हैं।

इससे पूर्व, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने धरोहर भवन हिमाचल प्रदेश राजभवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रदान की।

नौणी विवि के शोधकर्ताओं को हिमाचल में फल मक्खी की नई प्रजाति मिली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में फल मक्खी (टैफ्रिटिडी) के सर्वेक्षण के दौरान एक नई प्रजाति मिली जिसको पहले बैक्ट्रोसीरा नाईग्रोफीमोरेलिस के नाम से भ्रमित किया जाता था। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में पीएचडी शोध के दौरान डॉ. मनीष पाल सिंह ने अपने पी. एच.डी. कार्यक्रम के दौरान डॉ. दिवेन्द्र गुप्ता के मार्गदर्शन में इस नई प्रजाति का पता लगाया। इसका मोरफोलोजी एवं मोलीकुलर माध्यमों से वर्णन किया। इंग्लैंड के फल मक्खी टेक्सोनोमी विशेषज्ञ डॉ. डेविड लारेन्स हैनकॉक के साथ वार्तालाप एवं सलाह करने के उपरान्त इस फल मक्खी की प्रजाति का नामकरण बैक्ट्रोसीरा दिवेन्द्रि किया गया। डॉ. मनीष पाल सिंह द्वारा इसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया तथा इसके उपरान्त इस फल मक्खी प्रजाति को बैक्ट्रोसीरा नाईग्रोफीमोरेलिस से अलग कर बैक्ट्रोसीरा दिवेन्द्रि का नाम दिया गया।

यह फल मक्खी प्रजाति हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों (सोलन, सिरमौर, शिमला, मण्डी, कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में मुख्यतः आड़ू एवं नैक्ट्रीन पर पायी जाती है। हिमालय में अधिक जैव विविधता होने के कारण फल मक्खी पर अन्वेषण करने की आवश्यकता है। इस शोध को न्यूजीलैंड की 'ज़ूटैक्सा' पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित किया गया है। इस प्रजाति के नमूने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के उच्च ऊंचाई क्षेत्रीय केंद्र, सोलन, हिमाचल प्रदेश में रिकार्ड हेतु दिए गए हैं। कीट विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दिवेन्द्र गुप्ता के अनुसार फल मक्खी एक अंतर्राष्ट्रीय

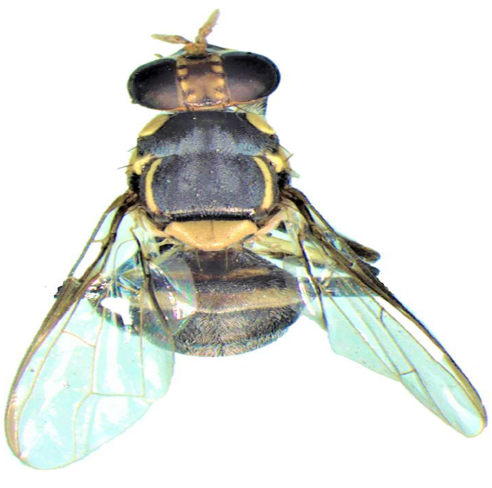

महत्व का नाशी कीट समूह है जो आम, अमरूद, आड़ू, नैक्ट्रीन इत्यादि जैसे फल तथा मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों पर सीधा फलों पर आक्रमण कर नुकसान पहुँचाता है। इनमें वातावरण के अनुरूप ढलने तथा पोषित दायरा बढ़ाने की क्षमता होती है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने शोधकर्ताओं को उनकी खोज पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रजाति जो आड़ू और नैक्ट्रीन को संक्रमित करता है, पर विस्तृत कार्य इस प्रजाति के खिलाफ प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा। डॉ. संजीव कुमार चौहान, अनुसंधान निदेशक(कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के डीन डॉ. मनीष शर्मा ने शोधकर्ताओं को उनकी खोज पर बधाई दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ स्नातक डिग्री भी करवाएगी इग्नू

शिमला/शैल। देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायकि प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) स्नातक डिग्री की पढ़ाई करवाएगी। यह सुविधा छात्रों को उनके संस्थान पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी हासिल कर सकें। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने छात्रों को किसी भी संस्था से दो डिग्री/डिप्लोमा में साथ-साथ पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार देशभर के सभी 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों', 'जन शिक्षण संस्थानों' तथा 'प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों' में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को उन्हीं के संस्थान में उच्च शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाई जानी है। इसके तहत प्रदेश में 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 'इग्नू-एम.एस.डी.ई. एक्सटेंशन सेंटर' स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले रहे हैं। इग्नू में जुलाई 2022 सत्र्के लिए यू.जी. एवं पी.जी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केन्द्र से या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला के दूरभाष संख्या 0177- 2624612 व 2624613 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंब अंदौरा, ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज साधन मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन के डिब्बों का निरीक्षण किया और अंदर दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकोमोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ऊना रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे।

इस ट्रेन के शुरू होने से इस ऊना से नई दिल्ली के लिए यात्रा का समय इससे दो घंटे कम हो जाएगा। अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली, देश में शुरू की गई ये चौथी वंदे भारत ट्रेन है और पिछली ट्रेनों की तुलना में ये एक उन्नत संस्करण है, जो हल्का है और कम समय में तेज गति तक पहुंचने में सक्षम है। वंदे भारत 2.0 ज्यादा उन्नत चीजों और बेहतर सुविधाओं से लैस है। जैसे कि ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 52 सेकंड में पा लेती है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 430 टन के पिछले संस्करण की तुलना में इस उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस का वजन 392 टन होगा। इसमें वाई-फाई कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा भी होगी। पिछले संस्करण में जहां 24 इंच की स्क्रीन थीं, वहीं नई ट्रेन के हर डिब्बे में 32 इंच की स्क्रीन हैं जो यात्री सूचना और इन्फोटेनमेंट प्रदान करती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यावरण अनुकूल भी होगी क्योंकि इसके एसी 15 प्रतिशत ज्यादा ऊर्जा कुशल होंगे। ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ एयर कूलिंग से यात्रा ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। पहले केवल एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को ही साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा दी जाती थी जो इस ट्रेन में सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की अतिरिक्त सुविधा है।

वंदे भारत एक्सप्रेस के नए डिजाइन में वायु शोधन के लिए रूफ-माउंटेड पैकेज यूनिट (आरएमपीयू) में एक फोटो-कैटेलिटिक अल्ट्रावायलेट वायु शोधन प्रणाली स्थापित की गई है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गनाइजेशन (सीएसआईओ), चंडीगढ़ के सुझाव अनुसार इस सिस्टम को आरएमपीयू के दोनों सिरों पर डिजाइन और स्थापित किया गया है ताकि ताजी हवा और वापसी की हवा में से आ रहे कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि से हवा को फिल्टर और साफ किया जा सके।

वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 बहुत बेहतरीन और विमान जैसी यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। ये ट्रेन उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली 'कवच' भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने चंबा में दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के चंबा जिला में दो जलविद्युत परियोजनाओं 48 मेगावाट चांजू-3 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चांजू हाइड्रो- इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-3 का भी शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा पीएमजी एसवाई-3 के शुरूआती चरण में राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर-दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए 420 करोड़ से अधिक रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस अवसर पर चंबा के चौगान में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्हें चंबा और अन्य दूर-दराज के गांवों के लिए सड़क संपर्क और रोजगार सृजन पर कई परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। हिमाचल प्रदेश में अपने प्रवास के दिनों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यह कहावत बदल रही है कि 'पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी', पहाड़ के काम नहीं आती। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ के युवा इस क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब हिमाचल प्रदेश आग्रह लेकर दिल्ली आया करता था। अब हिमाचल नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी और इसकी प्रगति और अपने अधिकारों की मांगों के विवरण के साथ आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का आदेश उनके लिए सर्वोच्च है। राज्य के लोग उनके आलाकमान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इसे अपना सौभाग्य मानते हैं इसलिए लोगों की सेवा करने का अलग ही आनंद है और इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है।

रोजगार के मामले में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस क्षेत्र की क्षमता को यहां के लोगों की शक्ति में बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पानी और जंगल की संपत्ति अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंबा देश के उस क्षेत्र से संबंधित है जहां जलविद्युत का उत्पादन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उनसे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा और हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चंबा से उत्पन्न बिजली से हिमाचल को करोड़ों रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा और यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी उन्हें ऐसी 4 बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने का अवसर मिला था। कुछ दिन पहले ही बिलासपुर में आरम्भ हुए हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से हिमाचल के युवाओं को भी फायदा होगा।

बागवानी, पशुपालन, शिल्प और कला में हिमाचल की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने फूलों, चंबा के चुख, राजमा मदरा, चंबा चप्पल, चंबा थाल और पांगी की थांगी जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की प्रशंसा की। उन्होंने इन उत्पादों को देश की विरासत बताया। वोकल फॉर लोकल का उदाहरण देते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सराहना की।

राजा, रानी, महाराजों का समय समाप्त लोकतंत्र के कोई राजा नहीं होता : शाह

शिमला/शैल। भाजपा ने एक विशाल हाटी अभिनंदन रैली का आयोजन किया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। केंद्रीय दलितो को कहने लगे की आपका आरक्षण चला जाएगा पर मैं अपने पेन से लिख कर देता हूं की दलित का दर्जा सौ प्रतिशत सुरक्षित है। यह आरक्षण केवल

मंत्री अमित शाह ने कहा की हिमाचल की जनता का जोश मैंने टीवी पर नरेंद्र मोदी रैली के दौरान देखा था पर आज मैने यह जोश साक्षात देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाटी को जनजातीय का दर्जा दे दिया। इस निर्णय से सिरमौर के 359 गांव लाभान्वित हुए है और आपकी 25 पीढ़ियां इस निर्णय का लाभ उठाएगी। हाटी को तीन प्रकार का आरक्षण मिला है शिक्षा, राजनीतिक और सरकारी नौकरियों सभी क्षेत्रों में हाटी को आरक्षण मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस काम तो आग लगाने का ही है। लाभ है इसके कोई नुकसान नही है अनुसूचित जाति का कुछ जाएगा नहीं और जनजातियों को ज्यादा मिलेगा। शाह ने कहा की इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा और यह निश्चित है। शाह ने कहा की हरि टोपी और लाल टोपी दोनो भाजपा की है, हमने रिवाज बदला है।

राजा, राजे, रानी, महाराजो का समय चला गया है और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। राजीव बिंदल के साथ एक बटन दबाते हुए अमित शाह और भाजपा प्रतिनिधियों ने कई नारों के साथ भाजपा चुनाव अभियान का थीम गीत लॉन्च किया।

आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कारवाई

शिमला/शैल। अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ जारी कारवाई में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आबकारी राजस्व जिला नूरपुर प्रभारी टिक्कम ठाकुर के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा मिलवान, ठाकुरद्वारा, गगवाल, उलेहरियान, बरोटा और चक तेरियन के सीमावर्ती इलाकों में एक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान गगवाल और चक तेरियन गांवों से लगभग '188000 लीटर (एक लाख अठासी हजार लीटर) कच्ची शराब और 50 लीटर लाहन' जब्त किया गया । हिमाचल आबकारी अधिनियम के जंगल में जिला प्रभारी हिमांशु पंवार द्वारा गठित टीम ने पावटा साहिब के खारा में 5 किलोमीटर जंगल मे अंदर जा कर अवैध शराब की भटियों को कब्जे में लेकर नष्ट किया । मौके पर तैयार कच्ची शराब के ड्रम, टायर ट्यूब, और प्लास्टिक गैलन में भरी हुई '22 हज़ार लीटर' शराब को अधिकारियों ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नष्ट किया।

राज्य कर एवम आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध शराब का कारोबार पनपने नही दिया जायेगा। विभाग ने इस कार्य हेतु अपनी टीमें

की धारा 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है । कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लाहन, तिरपाल और इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री की वीडियोग्राफी की गई। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मौके पर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया गया और ड्रम, डिब्बे आदि को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया । विभाग द्वारा 50 लीटर लाहन को कब्जे में लिया है और इस सबंध में एफ आई आर दर्ज की गई है। उपरोक्त कार्य हेतु आबकारी विभाग पंजाब, हिमाचल पुलिस व पंजाब पुलिस की मदद ली गयी।

एक अन्य मामले में जिला सिरमौर में पावटा साहिब तहसील के खारा '(Task Force)' गठित कर दी हैं। इन टीमों द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत औचक निरीक्षण किया गया जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। आबकारी आयुक्त हिमाचल प्रदेश ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में अवैध शराब के प्रति विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। मदिरा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत निम्न पर कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर 1800-180-8062, ई-मेल- vselection2022 @mailhptax या व्हाट्सएप नंबर-9418611339 पर दर्ज करवा सकते हैं।

जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली हैं। ......महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री और केंद्रीय एजैन्सियों के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति

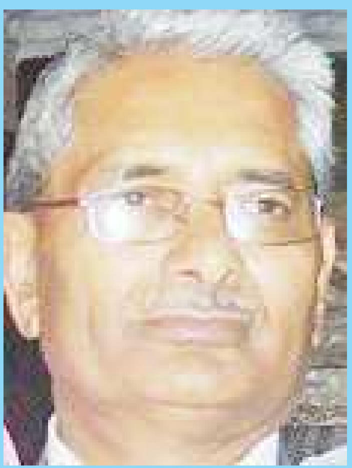

हिमाचल और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में करीब एक माह का अंतराल है। अब तक यह प्रथा रही है कि जिन राज्यों की विधानसभाओं का छः माह के भीतर कार्यकाल समाप्त हो रहा होता है उनके चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग एक साथ करता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि हिमाचल चुनाव के लिये भी जो तारीखें घोषित हुई हैं उनके मुताबिक चुनाव प्रचार के लिये दिये गये समय से मतदान और परिणाम के बीच रखे गये अंतराल का समय बहुत अधिक है। प्रचार के लिये कम समय दिये जाने का प्रभाव छोटे दलों और निर्दलीयों पर पड़ेगा। इस पर कुछ दलों ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। चुनाव आयोग के इस आचरण को कुछ लोग सत्तारूढ़ दल के दबाव के तौर पर देख रहे हैं। मतदान और परिणाम के बीच रखे गये लम्बे अंतराल को कुछ लोग ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाओं की संभावनाओं के साथ ही जोड़ कर देख रहे हैं। यह आशंकायें कितनी सही निकलती है और हिमाचल के चुनाव परिणामों का असर गुजरात पर कितना पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन विश्लेषकों के लिए ऐसी स्थिति पहली बार सामने आयी है।

हिमाचल में पीछे हुए विधानसभा के मानसून सत्र के बाद जयराम सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन किये हैं। हर सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक करके प्रदेश भर में करोड़ों की योजनाएं घोषित की हैं। मुख्यमंत्री की इन जनसभाओं के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं और जनता का मन टटोलने का प्रयास किया है। क्योंकि जयराम के राजनीतिक संरक्षक के रूप में नड्डा का नाम ही सबसे पहले आता रहा है। आज नड्डा जयराम बनाम धूमल खेमे में भाजपा पूरी तरह बंटी हुई है यह सब जानते हैं। बल्कि इसी खेमे बाजी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पांच जिलों में जनसभाएं आयोजित की गयी। चम्बा की सभा के लिये जो पोस्टर लगे थे उनमें राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी का फोटो नही था। इसकी जानकारी जब दिल्ली पहुंची तब रातों-रात इन्दु के फोटो वाले पोस्टर लगे।

प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी सिरमौर में आयोजित की गयी। अब चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री की आधा दर्जन सभाएं करवाये जाने की योजना है।

प्रधानमंत्री की सभाओं और चुनाव आयोग की पुरानी प्रथा से हटने को यदि एक साथ जोड़ कर देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस चुनाव में प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका केंद्रीय होने जा रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि प्रदेश का यह चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जायेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस समय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में नोटबंदी तथा चुनावी बाँडस के मुद्दों पर जिस तरह सवालों के घेरे में घिरती जा रही है उसे विपक्ष कितनी सफलता के साथ प्रदेश की जनता के बीच रख पाता है। क्योंकि यह तय है कि खेमों में बंटी प्रदेश भाजपा के किसी भी नेता के नाम पर चुनाव लड़ने का जोखिम केंद्रीय नेतृत्व नहीं उठाना चाहता है।

बेहद खतरनाक है पीएफआई का संगठनिक ढ़ाचा और काम करने के तरीके

गौतम चौधरी

सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी को पहले सामान्य तौर पर लिया गया लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। समाचार माध्यमों में इस संगठन के बारे में जब यह जानकारियां आने लगी कि यह देश को तोड़ने और लोकतांत्रिक भारत को इस्लामिक देश बनाने की योजना पर काम कर रहा है तो इस संगठन के प्रति सहानुभूति रखने वालों में भी बेचैनी देखने को मिली। वह अपने आप को छला महसूस करने लगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सार्टफार्म में पीएफआई के नाम से जाना जाता है। इस संगठन के बारे में पहले भी खबरें आती रही है। खासकर दक्षिण के प्रांतों में इसके गैरकानूनी कारनामों पर चर्चा होती रही है। हालांकि यह संगठन अपना आवरण बेहद सहिष्णु बना रखा था और आपने आप को सेवाभावी संगठन के रूप में प्रस्तुत करता था लेकिन सेवा की आड़ में पीएफआई भारत में नए प्रकार के उग्रवाद को प्रश्रय दे रहा था।

भारतीय सुरक्षा एजेंसी के द्वारा प्राप्त जानकारी में यह बताया गया है कि पीएफआई के एक बड़े नेता ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि केरल के प्रथनामथिता जिला का पदम जंगल, कोल्लम जिला का सस्थमकोटा, राजस्थान का सवाई माधोपुर का घन जंगल एवं पुणे का ब्लू बेल स्कूल में एक बात सामान्य है कि इन सभी जगहों पर चरमपंथी संगठनों पीएफआई का प्रशिक्षण स्थल है। पीएफआई अपने कार्यकर्ताओं को सामान्य लड़ाई के साथ-साथ हथियारों का भी प्रशिक्षण देता है। वह अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। पीएफआई की शब्दावली में शत्रु यानी दुश्मन की परिभाषा जानना बेहद जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कैसे करता है।

पीएफआई अपने कैडरों के चयन और प्रशिक्षण के लिए व्यापक विधि अपनाता है। सर्वप्रथम, नव चयनितों को सांप्रदायिक दंगे का क्लिप दिखाया जाता है उसके उपरांत प्रशिक्षक उनसे मुखातिब होते हैं। यही अभ्यास का पालन अलग-अलग समूहों के साथ किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान एक समूह में से दस सदस्यों को चुना जाता है। इसके बाद उसे यह बताया जाता है कि भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसे इस संगठन से अपने समाज की रक्षा करनी है। चयनित उम्मीदवारों को बाद में गहन प्रशिक्षण के लिए किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है। उसे धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ गुरिल्ला लड़ाई की शिक्षा भी दी जाती है। यही नहीं उसे खतरनाक हथियारों के संचालन से लेकर पारंपरिक हथियारों के संचालन की शिक्षा दी जाती है। अंतिम रूप से चयनित व्यक्तियों पर यह भी नजर रखी जाती है कि वो सुबह की इबादत समय से कर रहे हैं या नहीं।

इन 10 के समूह को बाद में उनके गृह जिलों के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है। इसके बाद उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण और जिहार पर उचित कक्षाएं दी जाती है। शारीरिक प्रशिक्षण 6 महीने तक हफ्ते में दो बार दी जाती है और यदि कोई भी मानसिक और शारीरिक अक्षमता दिखाता है तो उन्हें प्रशिक्षण से बाहर निकाल दिया जाता है। बचे हुए प्रतिभागियों को अगले चरण के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। अगले चरण में प्रशिक्षुओं को जोन, जिसमें 4 जिले होते हैं बाँटा जाता है। जोनल स्तर पर चुने गए उम्मीदवारों को फिर राज्य स्तरीय कैंप में भेजा जाता है, जहां पर प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां के प्रशिक्षण में विरोधियों पर घातक रूप से हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें छुरी के इस्तेमाल का प्रशिक्षण बेहद पेशेवर तरीके से दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में दुश्मन की छाती, लीवर एवं किडनी को हानि पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाता है। विरोधियों के छाती और पेट पर नंगे हाथों से हमला करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन्होंने अपना शारीरिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया उन्हें दो गुप्त विभागों में बाँटा जाता है जिनमें एक सर्विस विभाग वरिष्ठ पीएफआई नेतृत्व की सुरक्षा के लिए और दूसरा रिलीफ विभाग, जिसमें लक्ष्य बनाकर विरोधियों पर हमले के लिए भेजा जाता है।

पीएफआई अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे के बारे में जानकारी नही देने की हिदायत देते हैं। यही नहीं उसकी पहचान भी गुप्त रखने की व्यवस्था होती है। राज्य स्तरीय शिविर के प्रतिभागियों को विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वो खुद का परिचय गुप्त रखे ताकि यदि कोई व्यक्ति फिल्ड ऑपरेशन के दौरान पकड़ा जाए तो वो दूसरों का नाम उजागर न कर सकें। उजागर होने से बचने के लिए ऑपरेशन की योजना बनाने से लेकर उसके निष्पादन तक का कोई भी लिखित ब्यौरा नहीं रखा जाता है। यह पीएफआई के कार्यप्रणाली और भारत के आंतरिक सुरक्षा की जटिलताओं का विभिन्न सवाल खड़े करता है।

इस प्रकार के अच्छे प्रशिक्षण, उच्च स्तर की गोपनियता एवं लक्ष्य बनाकर हत्या करने की पीएफआई की तकनीक भारत के कानून व्यवस्था को तोड़ने और प्रशासनिक ढॉचे को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। कर्नाटक के डी.जी हल्ली पुलिस स्टेशन पर हिंसा या केरल के आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता संजीत की हत्या की बात को ध्यान में रखा जाए तो पीएफआई पर सख्ती जरूरी थी। सरकार समय रहते कारवाई न करती तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता था।

पोषण माह के दौरान पूरे देश में 15 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई

शिमला। एक सुपोषित भारत के लिए प्रधानमंत्री की सोच में योगदान करने को लेकर 5वें राष्ट्रीय पोषण माह (1 से 30 सितंबर, 2022) के दौरान पूरे देश में विभिन्न विषयवस्तुओं के तहत 15 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई। 5वें पोषण माह से पहले इस अभियान की शुरुआत के बाद से 40 करोड़ से अधिक की सामूहिक गतिविधियों के साथ चार पोषण माह और 4 पोषण परववाड़ा आयोजित किए जा चुके हैं।

इस साल पोषण माह के दौरान ग्राम पंचायतों को सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाया गया। इससे जमीन पर विभिन्न समितियों को संगठित करने में सहायता प्राप्त हुई। इनमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी), विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)/शिक्षा समिति, जल और पर्यावरण संरक्षण समिति, योजना और विकास समिति और सामाजिक न्याय स्थायी समिति आदि शामिल हैं। पोषण पंचायतों को सभी गतिविधियों का केंद्र मानते हुए, पोषण माह 2022 के लिए व्यापक विषयवस्तु- महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, लैंगिक संवेदनशील जल प्रबंधन और महिलाओं व बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन थीं।

'महिला और स्वास्थ्य' विषयवस्तु के तहत पूरे देश में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में रक्त अल्पता (एनीमिया) परीक्षण व जागरूकता अभियान (लगभग 32 लाख), प्रसव पूर्व जांच शिविर (लगभग 11 लाख), माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता अभियान (लगभग 7 लाख) और हाथ धोने व स्वच्छता (लगभग 41 लाख) आदि पर गतिविधियां शामिल थीं।

वहीं, एक अन्य प्रमुख विषयवस्तु –बच्चा और शिक्षा–पोषण भी, पढ़ाई भी ने पोषण माह–2022 के दौरान गति प्राप्त की। इसके तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विद्यालय से पहले की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आहवान किया गया है। इस विषयवस्तु के तहत बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगभग 81 लाख गतिविधियां आयोजित की गई। शुरुआती शिक्षा के लिए सामान्य संवेदीकरण के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षण के लिए स्वदेशी और स्थानीय रूप से उपलब्ध खिलौनों के उपयोग व विकास को राष्ट्रव्यापी बढ़ावा दिया गया है।

दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में प्रारंभिक बाल विकास के लिए स्वदेशी खिलौनों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आईसीडीएस के तहत काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका सहित सभी आईसीडीएस पदाधिकारियों इससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए इस कार्यशाला/संगोष्ठी का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया गया था। इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों की ओर से आयु के अनुरूप खिलौनों व इसके सार्वभौमिकरण पर पैनल चर्चा के अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय खिलौनों के निर्माण पर प्रमुख शिल्पकारों का सत्रों में स्वदेशी खिलौना निर्माण का सीधा प्रदर्शन शामिल था।

इसके अलावा विषयवस्तु के अनुरूप कई राज्यों ने गतिविधियां कीं। इनमें मणिपुर में राज्य टॉयथॉन/खिलौना मेला, गुजरात में आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित लघु बाल खिलौना/खेल व शिक्षण मेला, झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थानीय खिलौना बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन और ओडिशा के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों व माताओं द्वारा खिलौना बनाना शामिल है।

इसके अलावा, पोषण परववाड़ा–2022 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में जल संरक्षण व प्रबंधन पर लैंगिक संवेदनशील जागरूकता और जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर फोकस विषयवस्तुओं के तहत की गई सफल गतिविधियों के बाद पोषण माह 2022 में भी इन प्रमुख विषयवस्तुओं से संबंधित गतिविधियां जारी हैं। वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को चिह्नित करने को लेकर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अभियान के माध्यम से लैंगिक संवेदनशील जल प्रबंधन व संरक्षण की विषयवस्तु पर लगभग 43 लाख गतिविधियों को पूरा किया गया।

वहीं, पोषण माह के दौरान स्वस्थ बालक स्पर्धा को चार राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इस स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य 'स्वस्थ बच्चे' की पहचान करना और उसका उत्सव मनाना था। इस प्रकार बच्चों और उनके परिवारों में अच्छे स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना था। इस कार्यक्रम के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विकास मापन से संबंधित गहन गतिविधियों को पूरा किया गया। सभी 4 राज्यों में इस स्पर्धा के विजेता बच्चों व उनके माता–पिता को प्रमाणपत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार/उपहार जैसे कि पोषण किट/स्वच्छता किट, स्थानीय रूप से उपलब्ध देसी खिलौने और पानी की बोतल आदि वितरित किए गए।

5वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन 30 सितंबर से 2 अक्तूबर 2022 तक नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर एक पोषण उत्सव के साथ हुआ। यह पोषण उत्सव बड़े पैमाने पर लोगों, विशेष रूप से छोटे बच्चों व महिलाओं के लिए सही पोषण के महत्व पर महत्वपूर्ण संदेश को प्रसारित करने के लिए एक मंच के रूप में और देश में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आयु के अनुरूप अच्छे स्वास्थ्य अभ्यासों पर उन्हें संवेदनशील बनाने का काम किया। इस पोषण उत्सव को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पोषण संबंधी परेड, स्वस्थ–खाद्य स्टॉलों, स्वास्थ्य जांच स्टालों आदि पर केंद्रित पोषण विषयवस्तु पर केंद्रित उत्सव मेले के रूप में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बच्चों और लोगों को आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ फोटो खींचवाने के लिए एआर फोटो बूथ भी लगाया गया।

उत्सव के तहत आयुष मंत्रालय ने प्रदर्शनी/बिक्री के लिए आयुष पोषण अभ्यासों और आयुर्वेद उत्पादों/योगों से संबंधित पुस्तकों के स्टॉलों को लगाया। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए बूथ भी बनाए गए, जिसमें आगंतुकों के बीएमआई की जांच के लिए मशीनें भी शामिल थीं। चूंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रारंभिक शिक्षण और विकास के लिए स्वदेशी खिलौने एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों के लगभग 9 स्थानीय पारंपरिक खिलौना समूहों की ओर से स्वदेशी खिलौनों के स्टॉल लगाए गए। इनमें एटिकोपक्का (आंध्र प्रदेश), कोंडापल्ली (आंध्र प्रदेश), चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कठपुतली शिल्प (राजस्थान), मैसूरु (कर्नाटक), मैंगलोर (कर्नाटक), चन्नापटना (कर्नाटक) और इंदौर (मध्य प्रदेश) आदि शामिल हैं।

बड़े पैमाने पर बच्चों और जनता को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ फोटो खींचवाने के लिए एक एआर फोटो बूथ स्थापित किया गया था। यह आगंतुकों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। एक अनुमान के अनुसार इन 3 दिनों में लगभग डेढ़ से दो लाख लोगों ने इस पोषण उत्सव में हिस्सा लिया।

धीरे–धीरे पिछले कुछ वर्षों में जन आंदोलनों ने लोगों की मानसिकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम किया है। इसने महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य व पोषण पर केंद्रित गतिविधियों में पुरुषों और लड़कों की भागीदारी में बढ़ोतरी करने में अपना योगदान दिया है। पोषण माह- 2022 में भी पुरुषों और महिलाओं (लड़कों और लड़कियों सहित) की एकसमान भागीदारी देखी गई है।

भारत सरकार का पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार को लेकर एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2018 को की थी। जन आंदोलन के जरिए अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में पोषण से जुड़े व्यवहार में बदलाव लाना है, जिससे यह माननीय प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत की सोच में योगदान दे सके।

15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए, आंगनवाड़ी सेवाओं (एडब्ल्यूएस) और किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी) के साथ पोषण अभियान सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 नामक एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के हिस्से हैं। इस पोषण अभियान के तहत पोषण–केंद्रित जन आंदोलन, पोषण माह और पोषण परववाड़ा के रूप में साल में दो बार आयोजित किया जाता है, जो लोगों के बीच वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए प्रमुख घटकों में से एक बना हुआ है।

वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022 जमीनी हकीकत से अलग

शिमला। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल या कलंकित करने के लिए निरंतर किया जा रहा कुटिल प्रयास एक बार फिर स्पष्ट नजर आ रहा है जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गलत सूचना फैलाना ही हर साल जारी किए जाने वाले 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' का विशिष्ट उद्देश्य है। कन्सर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, जो कि क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर–सरकारी संगठन हैं, द्वारा जारी 'वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022' में भारत को 121 देशों में काफी नीचे 107वीं रैकिंग दी गई है। यह सूचकांक दरअसल भुखमरी का एक गलत पैमाना है और इसमें ढेर सारी गंभीर पद्धतिपरक कमियां हैं। इस सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार संकेतकों में से तीन संकेतक दरअसल बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, अतः ये निश्चित रूप से पूरी आबादी के स्वास्थ्य को नहीं दर्शा सकते हैं। अल्पपोषित आबादी के अनुपात (पीओयू) का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक अनुमान दरअसल सिर्फ 3000 प्रतिभागियों के बहुत छोटे नमूने पर किए गए एक ओपिनियन पोल पर आधारित है।

यह रिपोर्ट न केवल जमीनी हकीकत से अलग है, बल्कि विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान देश की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। एक आयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस रिपोर्ट में अल्पपोषित आबादी के अनुपात (पीओयू) के अनुमान के आधार पर भारत की रैंकिंग को कम करके 16.3 प्रतिशत पर ला दिया गया है। एफएओ का अनुमान 'खाद्य असुरक्षा अनुभव पैमाने (एफआईईएस)' सर्वेक्षण मॉडयूल पर आधारित है जो कि गैलअप वर्ल्ड पोल के माध्यम से आयोजित किया गया है और जो '3000 प्रतिभागियों' के नमूने के साथ '8 प्रश्नों' पर आधारित 'ओपिनियन पोल' है। एफआईईएस के माध्यम से भारत जैसे विशाल देश के लिए एक छोटे से नमूने से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग भारत के लिए पीओयू मूल्य की गणना करने के लिए किया गया है जो न केवल गलत और अनैतिक है, बल्कि यह स्पष्ट पूर्वाग्रह का भी संकेत देता है। वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट की प्रकाशन एजेंसियों कन्सर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे ने स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट जारी करने से पहले अपनी ओर से बारीकी से मेहनत नहीं की है।

जुलाई 2022 में एफएओ के साथ एफआईईएस सर्वेक्षण मॉडयूल के आंकड़ों के आधार पर ऐसे अनुमानों का उपयोग नहीं करने का मुद्दा उठाया गया था क्योंकि इसके सांख्यिकीय आउटपुट तथ्यों पर आधारित नहीं होंगे। हालांकि इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि इस मुद्दे पर और बातचीत की जाएगी, लेकिन इस तरह की तथ्यात्मक कमियों के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का प्रकाशन खेदजनक है।

प्रतिभागियों से पूछे गए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं:

'पिछले 12 महीनों के दौरान, क्या कोई ऐसा समय था, जब पैसे या अन्य संसाधनों के अभाव में: आप इस बात के लिए चिंतित थे कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा? क्या आपने जितना सोचा था, उससे कम खाया?

यह स्पष्ट है कि इस तरह के प्रश्न सरकार द्वारा पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा के आश्वासन के बारे में प्रासंगिक जानकारी के आधार पर तथ्यों की पड़ताल नहीं करते हैं।

भारत में प्रति व्यक्ति आहार ऊर्जा आपूर्ति, जैसा कि आहार तालिका (बैलेंस शीट) से एफएओ द्वारा अनुमान लगाया गया है, देश में प्रमुख दृषिगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण साल–दर–साल बढ़ रही है और ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं है कि देश में कुपोषण का स्तर बढ़े।

इस अवधि के दौरान सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए थे। इस संबंध में की गई कुछ कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:

सरकार दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। देश में कोविड–19 के अभूतपूर्व प्रकोप के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर सरकार ने मार्च 2020 में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी। ये वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम–जीकेएवाई) के तहत प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के पैमाने पर, नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न यानी उनके राशन कार्ड की नियमित पात्रता के ऊपर है। इस तरह एनएफएसए परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्यान्न की मात्रा को प्रभावी ढंग से दोगुना कर दिया गया, ताकि आर्थिक संकट के समय में पर्याप्त खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण गरीब, जरूरतमंद और कमजोर परिवारों/लाभार्थियों को नुकसान न हो। अब तक पीएम–जीकेएवाई योजना के तहत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है, जो खाद्य सब्सिडी में तकरीबन 3.91 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। इस योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

ये वितरण राज्य सरकारों के माध्यम से किया गया है, जिन्होंने स्वयं लाभार्थियों को दालें, खाद्य तेल और मसाले आदि उपलब्ध कराकर केंद्र सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाया है।

आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत कोविड–19 महामारी के बाद से, 6 वर्ष तक के लगभग 7.71 करोड़ बच्चों और 1.78 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया गया। 5.3 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न (जिसमें 2.5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं, 1.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल, 1.6 मिलियन मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल और 12,037 मीट्रिक टन ज्वार और बाजरा शामिल हैं) की आपूर्ति की गई।

भारत में 14 लाख आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा पूरक पोषाहार का वितरण किया गया। लाभार्थियों को 'घर ले जाने वाला राशन (टेक होम राशन)' हर परववाड़े उनके घरों पर पहुंचाया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत महिलाओं में से प्रत्येक को उनके पहले बच्चे के जन्म पर गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान पारिश्रमिक सहायता एवं पौष्टिक भोजन के लिए प्रत्येक को 5000 रुपये प्रदान किए गए।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में शामिल पीओयू के अलावा तीन अन्य संकेतक मुख्य रूप से बच्चों से संबंधित हैं, जैसे बच्चों के विकास में कमी, किसी अंग का कमजोर रह जाना और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। ये संकेतक भूख के अलावा पेयजल, स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण और भोजन के उपयोग जैसे विभिन्न अन्य कारकों के जटिल संयोग के परिणाम हो सकते हैं, जिसे जीएचआई में बच्चों के विकास में कमी और किसी अंग का कमजोर रह जाना के लिए कारक/परिणाम कारक के रूप में लिया जाता है। बच्चों के मुख्य रूप से स्वास्थ्य संकेतकों से संबंधित संकेतकों के आधार पर भूख की गणना करना न तो वैज्ञानिक है और न ही तर्कसंगत।

सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए दो ट्रैक सूट निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी

योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) के विद्यार्थियों के लिए दो ट्रैक सूट (एक ग्रीष्मकालीन सत्र और एक शीतकालीन सत्र) निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के 50 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

बैठक में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस इन्टर्नज का स्टाइपेंड वर्तमान 17 हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी की ग्राम पंचायत ठाकुरथाना के अन्तर्गत सोमाकोठी में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चामुण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने स्टाफ नर्स और वार्ड सिस्टर के पदनाम को नर्सिंग अधिकारी और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला शिमला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारकण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल कांगड़ा के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।

बैठक में बिलासुपर जिला में मन्दिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला श्री नैनादेवी जी का भवन/सम्पति सहित शिक्षा विभाग को सौंपने की शर्त के साथ अधिगृहित/स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं की सुविधा प्रदान करने के लिए नए विषय मेकेनिक मोटर व्हीकल और कम्प्यूटर ऑप्रेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सीओपीए) शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन और पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में एआरटी केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की बल्ह तहसील के हटगढ़ में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी की तहसील थुनाग के बगस्याड़ में नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने तथा तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के बागाचनोगी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

चुनाव नतीजों में इतने दिनों का अंतराल चिंता का विषय:अलका लांबा

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता एवं प्रदेश मिडिया प्रभारी अलका लांबा ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पुरी तरह पालन करेगी। उन्होंने ने चिंता का विषय है। उन्होने कहा कि पूर्व में चुनावों के दौरान देखा गया है कि भाजपा द्वारा निष्पक्ष चुनाव प्रकिया को बाधित करने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरूप्योग किया गया, ऐसा हिमाचल में भी हो सकता है। उन्होने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि निष्पक्षता से चुनाव करवाने की

उम्मीद जाहिर की कि चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के निष्पक्ष चुनाव सम्पन करवाएगा और इन चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा।

अलका लाम्बा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए पुरी तरह तैयार है और पार्टी का कार्यकर्ता एक-एक मतदान केन्द्रो पर तैनात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए पुरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता को लोकतंत्र के इस महान पर्व के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि प्रदेश का एक-एक नागरिक इस पर्व पर बढ़चढ़ कर अपनी भगीदारी सुनिश्चित करेगा और अपनी अन्तर आत्मा की आवाज से अपने उज्जवल भविष्य को लेकर महंगाई बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए मतदान में अपनी भूमिका निभाएगा।

अलका लांबा ने कहा कि ने कहा कि जय राम सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है और सरकार के अन्तिम दिन भी जय राम जी ने अपनी पराजय देखकर केबिनेट मीटिंग में ऐसे फैसले लिए जो पिछले पांच सालों में राज्य सरकार नहीं कर पायी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता राज्य सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी और भाजपा सरकार को सता से उखाड़ फैंकेगी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर केन्द्र सरकार की नीयत साफ होती तो हाटी को जनजाति दर्जा देने की घोषणा केबिनेट मीटिंग तक ही नहीं रुकती। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह फैसला केवल दो समुदायों के बीच सामाजिक जहर घोलने का प्रयास मात्र है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा जो कि केंद्र में सत्तासीन है द्वारा बीते चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर सकती है जो कि जिम्मेदारी को निहारें एवं ईडी, सीबीआई के हस्तक्षेप को रोकें।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 12 नवंबर को सभी 68 सीटों पर एक साथ चुनाव एक ही चरण में होगा और नतीजा 8 दिसंबर को आयेगा चुनाव नतीजों में इतने दिनों का अंतराल चिंता का विषय है पिछले बार सभी पांच राज्यों की चुनाव तिथि एक साथ घोषित की गई थी फिर गुजरात में चुनाव तिथि क्यूं घोषित नहीं की गई जबकि चुनाव नतीजे चुनाव तिथि के तीन या चार दिन बाद आ जाने चाहिए पर ऐसा नहीं है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल डा.धनीराम शांडिल ने सोलन के ठोडो ग्रांउड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की महापरिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की ऐतिहासिक सफलता पर सोलन तथा हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि इन विधान सभा चुनावों में दो दलों के बीच सीधा मुकाबला है। उन्होंने कहा कि सोलन रैली में प्रियंका गांधी की उपस्थिति में प्रदेश की जनता ने जता दिया है कि इन चुनावों में हिमाचल की जनता रिवाज नहीं बल्कि सरकार को बदलेगी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल डा.धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के हर एक वर्ग जिनमे कर्मचारी, पैशनर, युवा, किसान-बागवान, महिलाएं, व्यापारी वर्ग सहित सभी से संवाद करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विधान सभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद अपने घोषणा पत्र को जारी करेगी।

कर्नल डा. धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन में सम्पन ऐतिहासिक महापरिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की सफलता की तर्ज पर विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में चम्बा, कांगड़ा, मंडी एवं शिमला में भी प्रियंका गांधी की चुनावी रैलियां आयोजित करवागी जाएगी।

सीआईआई चंडीगढ़ फेयर 2022 में ट्राइसिटी ने बंगाल का सर्वश्रेष्ठ अनुभव किया

शिमला/शैल। सी आई आई चंडीगढ़ फेयर 2022 ग्राहकों के बीच बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ, जिसमें कई आकर्षण प्रदर्शित हुए। इस वर्ष के मुख्य आकर्षणों में से एक प्रदर्शनी क्षेत्र है जहां पश्चिम बंगाल के प्रदर्शकों

द्वारा अधिकांश स्टाल लगाए गए थे। इसमें जटिल डिजाइन और अनुकरणीय क्राफ्टवर्क के साथ विविध और रचनात्मक उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल थी। बनवारीलाल पुरोहित, राज्यपाल, पंजाब और प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प स्टालों का दौरा किया और कलाकारों की शिल्प कौशल की प्रशंसा की।

फेयर के हॉल नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल के स्टालों पर दिलचस्प हस्तशिल्प और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र के एमएसएमई ने अपनी रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस मंच पर अपने प्रदर्शन को चित्रित किया है। इन स्टालों के बीच एक अनूठा प्रदर्शन जलकुंभी की थैलियों का है, जिन्हें पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के 25 लोगों के समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाया गया है।

वेस्ट बंगाल स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी (WBSEPS) ने अपनी लकड़ी की नक्काशी, दीवार पर लटकने वाले, मूर्तियां और हाथ से सिले हुए खिलौने प्रदर्शित किए हैं, जो विभिन्न आयु-वर्गो को अपने स्टालों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा, जूट आधारित वस्तुएं इस क्षेत्र की विशेषता रही हैं और इस मेले में भी बड़ी हिट साबित हुई हैं। जहां जूट बैग, जूते और पेंटिंग हमने वयस्कों को आकर्षित किया, वहीं जूट गुड़िया और खिलौने बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहे हैं।

एक स्टाल में आंतरिक रूप से माचिस की तीलियों से बनी कलाकृतियों का एक दिलचस्प प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। आगंतुकों को इस खंड में बुक फोल्डर, कोस्टर, टोकरियाँ और क्लच के अनूठे डिज़ाइनों का पता लगाना चाहिए।

घर की सजावट में इजाफा करते हुए, पश्चिम बंगाल के स्टॉल गेहूं की भूसी, पाइन कोन, सूखे मेवे और ताड़ से निर्मित 'हस्तनिर्मित जैविक फूलों की छड़ें' का एक रचनात्मक रूप प्रदान करते हैं जो इन सजावटी कृतियों में बनाई जाती हैं। इसी श्रेणी में आते हैं लकड़ी के घर की सजावट जिन्हें 8 कारीगरों के एक सेट द्वारा महोगनी की लकड़ी पर चित्रित किया गया है।

प्रा तिक संसाधनों और असाधारण प्रतिभा का उपयोग करने में विशेषज्ञता, प्रमुख भीड़ खींचने वाले स्टालों में से एक शांतिनिकेतन के कारीगरों द्वारा कपास और टसर रेशम से बने पटाचित्र और बंदिनी प्रकार के हाथ से चित्रित और हाथ से मुद्रित कुर्तियां और दुपटे थे। इसका पूरक डोकरा गहने और आभूषण थे, जो धातु विज्ञान का एक प्रसिद्ध और प्राचीन रूप था।

आगंतुकों के पास राष्ट्रीय जूट बोर्ड स्टालों और डब्ल्यूबीएसईपीएस स्टालों में से चुनने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है। CII चंडीगढ़ मेला MSME प्रदर्शकों को एक गतिशील ग्राहक आधार का अनुभव करने और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानने के लिए एक प्रोत्साहन देता है। निस्संदेह, सीआईआई एक महान मंच प्रदान करता है और नए आविष्कारों को प्रदर्शित करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और हमारे ग्रह पृथ्वी को बचाने के लिए आम जनता के बीच आदतों को विकसित करता है। कलाकारों को यहां जो एक्सपोजर मिलता है, वह उनके आत्मविश्वास में काफी इजाफा करता है, खासकर समाज की वंचित महिलाओं को। यह महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा मंच है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने 25वां राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान आयोजित किया

शिमला/शैल। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), राष्ट्रपति निवास, शिमला ने 14 अक्तूबर 2022 को पुस्तकालय हॉल में वार्षिक श्रृंखला के अनुसार अपना 25वां राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान आयोजित किया। इस प्रतिष्ठित

कार्यक्रम में राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए 300 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन तथा संस्थान के निदेशक एवं इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव के स्वागत के साथ हुआ। संस्थान की अध्यक्षा प्रो. शशिप्रभा कुमार ने मुख्य अतिथि और कार्यक्रम का परिचय दिया और उसके पश्चात मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीयुत पी.एस. नरसिम्हा ने (कान्स्टिट्यूशनल फ्रटर्निटी 'बन्धुत्वम इन दवर्किंग ऑफ अवर कान्स्टिट्यूशन)' विषय पर 25वां राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने संविधान के कामकाज के बारे में बताया कि यह कैसे काम करता है और हम अपने अधिकारों को किस प्रकार समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में दो समस्याएं हैं जो एक-दूसरे के आड़े आती हैं-पहली शक्तियों का प्रयोग और दूसरी हमारे मौलिक अधिकारों को समझने से है। संविधान ने हमें राज्य की शक्तियों के प्रयोग और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष से व्यापक रूप से संरक्षण प्रदान किया है। राज्य की शक्तियों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से संघर्ष के साथ आता है क्योंकि यह नागरिकों को एक सीमा तक सीमित करता है और इस समस्या को केवल संविधान द्वारा हल किया जाता है। इस संघर्ष को एक ओर जनहित और दूसरी ओर स्वतंत्रता से भी सुलझाया जा सकता है। इसका समाधान एक अन्य विधि से भी किया जा सकता है जिसे बंधुत्व कहा जाता है। बंधुत्व से अभिप्राय: है एक बंधन या परस्पर भाईचारा है। उसकी उपस्थिति और पहचान के साथ दूसरे के साथ संबंध है, तभी आपको गरिमा मिलती है। उन्होंने उपनिवेशवाद के दौरान भारत की समानताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि किस प्रकार राजनीतिक दलों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीयों को एकजुट किया। सभी को पृथक पहचान दिलाई, विविधता और सांस्कृतिक मूल्यों को एक साथ लाया, जिस कारण हमारा जीवन और अस्तित्व काफी हद तक प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय एकता, खादी, अनुसूचित जातियों के उत्थान की योजनाएं आदि कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। समुदाय के साथ संयुक्त उद्यमशीलता, मौलिक अधिकार, एकता और सहिष्णुता की भावना ने देशवासियों को एक मंच पर लाया जिससे श्रेष्ठ विचारों और शिक्षाओं का सृजन हुआ। ये वे मूल्य हैं जिन्हें हम संविधान में शामिल करते हैं। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने भी महसूस किया कि संयुक्त रूप से रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक बहसें भी हमारी पहचान की बात करती हैं और इसकी जरूरत भी है। मौलिक अधिकारों के साथ-साथ शासन की गारंटी भी संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। इन सभी मूलभूत दोषों को हम आध्यात्मिक बंधनों से दूर कर सकते हैं। सभ्यता आध्यात्मिकता का एक विचार है जो बाहरी नहीं आंतरिक अभीप्सा है। संविधान एक दस्तावेज है जो शक्तियों और अधिकारों को प्रदान करता है और मौलिक अधिकारों को अपनी सीमाओं के साथ प्रकृति में पूर्ण रूप से घोषित करता है। यह राज्य को विधायिका, न्यायपालिका और समानता का अधिकार आदि जैसे अंग प्रदान करता है। यह एक जैविक प्रणाली है जो राज्य और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, प्रकृति और मनुष्यों के दृष्टिकोण के साथ शक्तियों के प्रयोग को दिशा प्रदान करती है।

भाईचारा को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता अपितु यह मानव का स्वाभाविक निस्वार्थपूर्ण अभिन्न अंग है। राज्य की शक्ति सीमाएं संविधान को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन व्यक्ति की सीमाएं सभी को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। अंत में उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? और इसका उत्तर यह है कि अन्य कोई है ही नहीं।

जयराम सरकार चुनावी रैलियों के लिए ले रही कर्ज:सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला/शैल। कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जयराम सरकार लगातार कर्ज लेकर हिमाचल

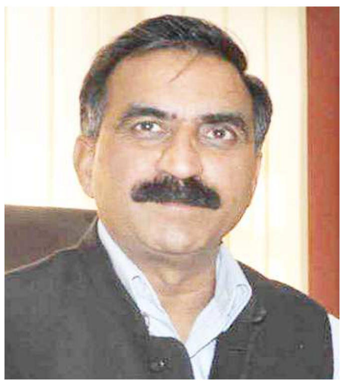

को कर्ज में डूबो रही है। उन्होंने कहा कि यह कर्ज हिमाचल की जनता के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ले रही है। कर्ज का यह पैसा विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया जा रहा, बल्कि इससे फिजूल खर्ची पर उड़ाया जा रहा है। उन्होंने जयराम सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को हिमाचल के लोगों की समस्याएं नजर नहीं आ रही। स्कूलों में शिक्षक नहीं और स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टर और अन्य स्टाफ नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालात खस्ता बनी हुई है। सरकार को इन पर पैसा खर्च करना चाहिए था, मगर सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है।

सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जयराम इस चुनावी साल में हर माह कर्ज ले रही है। अब सरकार 1000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। इससे पहले जयराम सरकार ने जुलाई में 1000 करोड़ रूपए कर्ज लिया था। इसके बाद फिर अगस्त में 1500 करोड़ रूपए का कर्ज लिया। बीते सितंबर माह में 2500 करोड़ रूपए लिया गया। अब फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज जयराम सरकार ले रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जयराम सरकार को एक उपलब्धि के लिए याद रखा जाएगा, वह यह कि इससे पहले सरकारों ने कुल जितना कर्ज लिया है, उतना अकेले जयराम सरकार अब तक ले चुकी है। इसके चलते हिमाचल का कुल कर्ज 70 हजार करोड़ से पार चुका है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा जयराम सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल स्थापना के भव्य समारोह कराकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया। इन आयोजनों पर 60-70 करोड़ रूपए जाया किया, जबकि इससे हिमाचल की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। उल्टे इन आयोजनों से लोगों को भारी असुविधा हुई। प्रत्येक आयोजन के लिए आसपास डिपो और सब डिपो से एचआरटीसी की 250-300 बसे भेज कर इन रूटों को तीन दिनों तक बाधित करने का काम जयराम सरकार ने किया है। इसी तरह अन्य चुनावी रैलियां हिमाचल की जनता के पैसों से की जा रही है। प्रदेश की जनता मंहगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है और जयराम सरकार फिजूल खर्ची कर सरकारी खजाने पर लगातार बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता इसका पूरा जवाब देगी। जनता जयराम सरकार से बदला लेने की ठान चुकी है। इसका एक ट्रैलर उपचुनावों में जनता दिखा चुकी है। जयराम सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जनता ने विधानसभा चुनावों में उसको सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना ने अपना 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया

शिमला/शैल। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. के. सिवन, पूर्व सचिव, डी.ओ. एस.ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने संस्थान के निदेशक, स्नातक छात्रों और उनके गौरवान्वित अभिभावकों को बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने युवा पीढ़ी को विश्व स्तर पर हमारे राष्ट्र को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक निश्चित मानदंड का पालन

करने के लिए संदेश दिया जिसमें शामिल है: 1) व्यक्तिगत भय पर विजय प्राप्त करना, 2) एक एकीकृत दृष्टिकोण मानसिकता के साथ अपने संभावित क्षेत्र में नया जोखिम लेना , 3) नौकरी देने वाले होने के लिए इंजीनियरों की विचारधारा में नवाचार। अंत में, उन्होंने यह उद्धृत करते हुए दर्शकों को प्रेरित किया कि 'असफलता से डरो मत, लेकिन असफलता से सीखने के लिए साहसी बनो। उन्होंने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया कि नए उद्योग खोलें और वे सभी स्टार्ट-अप उद्योगों को खोलने के लिए आएंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों, वित्त समिति और आईआईआईटी ऊना के सीनेट सदस्यों ने संस्थान के संस्थापक निदेशक प्रो. एस. सेल्वाकुमार की उपस्थिति में की।

5वें दीक्षांत समारोह के इस मुख्य सत्र में कुल चार बैचों ने स्नातक होकर डिग्री प्रदान की है। आज कुल 130 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिनमें से 52 छात्र बी.टेक के साथ होंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 46 छात्र बीटेक के साथ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में, और 32 छात्र बीटेक के साथ होंगे। 2017-21 बैच के दो बीटेक सीएसई और 2017-21 बैच के एक बीटेक आईटी सहित सूचना प्रौद्योगिकी में। इस वर्ष, 03 छात्रों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

सभी स्नातक बैच को कैंपस और ऑफ कैंपस भर्ती प्रक्रिया में रखा गया है। छत्तीस कंपनियों ने हमारे छात्रों की भर्ती की है। उच्चतम पैकेज रु. 47/- लाख प्रति वर्ष और औसत पैकेज रु.12. 06/-लाख प्रति वर्ष है।

स्थायी परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। संस्थान ने 29 अक्तूबर, '21 से नए परिसर से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। संस्थान ने आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़, एचपीटीयू हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, और श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नेरचौक, मंडी (एचपी) के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। संसाधनों और अनुसंधान और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार। इस वर्ष दो और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, एक एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई, तमिलनाडु के साथ बीआईआरएसी, डीबीटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सहयोगात्मक परियोजना के लिए पेटेंट दाखिल करने के उद्देश्य से और दूसरा हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ उद्देश्य के साथ। हिमाचल प्रदेश राज्य के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में। इसके अलावा संस्थान इस शैक्षणिक वर्ष में नैनो टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए जॉर्जिया टेक, अटलांटा, यूएसए के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है।

दीक्षांत समारोह में संस्थान के संकाय सदस्य, स्टाफ सदस्य, पूर्व छात्र, छात्र, स्नातक छात्र और उनके माता-पिता उपस्थित थे।

बल्क ड्रग पार्क व अन्य योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया: वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ऊना जिला का दौरा हिमाचल प्रदेश और विशेषतौर पर ऊना जिला के लिए कई सौगातें देकर गया है। वीरेन्द्र कंवर ने ऊना के हरोली में लगभग 1923 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा दिल्ली से ऊना व अम्ब-अंदौरा तक भारत की अत्याधुनिक वंदे भारत रेल सेवा का शुभारम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क की स्थापना से जहां ऊना जिला देश व प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरेगा वहीं प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर तथा केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के भी सतत् एवं सराहनीय प्रयास रहे हैं।

उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत पांच वर्षों के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता प्रदान की है और कृषकों के हित में कई नवोन्मेषी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में प्रदेश पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत 1.71 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और इस योजना पर 58.46 करोड़ रुपये व्यय कर 9421 हैक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 9.83 लाख से अधिक पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत लगभग 1931.63 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर आवासहीन लोगों को मकान बनाने के लिए वर्ष 2018 से अब तक 7893 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत मकान स्वीकृत किए गए, जिस पर लगभग 58 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में 850.17 करोड़ रुपये तथा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रथम किश्त के रूप में 214.50 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मामले में सम्मानजनक वृद्धि की गई है। ग्राम पंचायत सदस्यों के बैठक भत्तों, सिलाई अध्यापिकाओं के मासिक पारिश्रमिक तथा पंचायत चौकीदारों के पारिश्रमिक में भी आशातीत बढ़ोत्तरी की गई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

टिकट वितरण ही तय करेगा कि भाजपा की खेमे बाजी कहां खड़ी है

शिमला/शैल। भाजपा ने टिकट आवंटन के लिये कोर कमेटी की बैठक को रद्द करके संसदीय क्षेत्र वार पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर उनसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये तीन-तीन नामों का गुप्त मतदान करवाकर उनकी राय जानने की प्रक्रिया अपनाई है। इस मतदान की पेटियां हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली ले जाकर चुनाव चयन कमेटी के सामने रखी जायेंगी। भाजपा को यह प्रक्रिया अपनाने की की बात चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद ही क्यों दिमाग में आयी। यह सवाल विश्लेषकों के लिये महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री की चम्बा में रैली आयोजित की गयी थी तब वहां पर जो पोस्टर लगाये गये थे उनमें राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी का फोटो गायब था। जैसे ही यह सूचना दिल्ली पहुंची तो वहां से आये निर्देशों के बाद पुराने पोस्टर हटाकर इन्दु गोस्वामी के फोटो के साथ नये पोस्टर लगाये गये। इन्दु गोस्वामी का पोस्टर इस तरह से आने के बाद भाजपा के भीतर की राजनीति में फिर तूफान खड़ा हो गया है। क्योंकि इन्दु गोस्वामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं दो बार बड़ी गंभीरता से उठ चुकी हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच इन्दु गोस्वामी ने सुजानपुर में प्रेम कुमार धूमल को भारी मतों से जीताने की अपील कर दी थी। इससे यह संकेत स्पष्ट रूप से उभर रहे थे की धूमल और इन्दु गोस्वामी का गठजोड़ आने वाले समय में प्रभावी हो सकता है। धूमल कि 2017 के चुनाव में हार एक प्रायोजित षडयंत्र थी यह सामने आ चुका है। धूमल को अपना राजनीतिक सम्मान बहाल करवाने के लिए एक बार चुनाव लड़ कर जीतने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

भाजपा के अन्दर अचानक उभरी यह स्थिति आगे चलकर क्या करवट लेती है यह टिकट वितरण से ही साफ हो जाएगा। क्या धूमल और उनके समर्थकों को पार्टी टिकट देती है या नहीं? अगर धूमल चुनाव लड़ते हैं तो स्पष्ट संदेश होगा कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। इससे एक बार फिर नड्डा-जयराम बनाम धूमल खेमों में अघोषित संघर्ष और तेज हो जायेगा। क्योंकि जब दोनों निर्दलीयों को भाजपा में शामिल करवाया गया था तो उससे धूमल समर्थक ही सीधे प्रभावित हुए थे और इसमें स्थानीय मण्डलों तक को विश्वास में नहीं लिया गया था। वहां से दोनों खेमों में शुरू हुआ यह संघर्ष अब टिकट वितरण में क्या असर दिखाता है यह देखना रोचक होगा। क्या मुख्यमंत्री खेमा इन लोगों को टिकट दिलवा पाता है या नहीं? दोनों निर्दलीयों को स्थानीय मण्डलों के विरोध के बावजूद टिकट मिलना सीधा संकेत होगा कि इस चुनाव में धूमल खेमे को पूरी तरह अप्रसांगिक कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि धूमल खेमा चुनाव में क्या भूमिका निभाता है। चुनाव प्रचार में कितना सक्रिय रह पाता है। यह माना जा रहा है कि नड्डा जय राम के आश्वासन पर भाजपा में शामिल हुए चारों विधायकों को यदि पार्टी टिकट दे देती है तो उस स्थिति में किसी भी विधायक या मंत्री का टिकट काट पाना संभव नहीं हो पायेगा। सरकार पर लगते आ रहे नॉन परफारमैन्स के आरोपों के साथ ही पार्टी को चुनाव में उतरना होगा।

आचार संहिता लागू होने के दिन तक भी नहीं भरे जा सके मुख्य सूचना आयुक्त और खाद्य आयुक्त के पद

केवल जस्टिस बारोवालिया ही बन पाये लोकायुक्त

शिमला/शैल। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के माध्यम से बड़ा आन्दोलन खड़ा करके केन्द्र की सत्ता पर काबिज हुई भाजपा शासित अधिकांश प्रदेशों में लम्बे समय तक लोकायुक्त के पद नहीं भर पायी है। हिमाचल भी ऐसे ही राज्यों में से एक है। यहां पर लोकायुक्त का पद भरने की कवायद उस दिन की गयी जब चुनाव आयोग ने विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण बारोवालिया को इस पद पर नियुक्त किया गया है। जब उनका न्यायमूर्ति के पद से त्यागपत्र स्वीकार हो जायेगा तब वह बतौर लोकायुक्त शपथ ग्रहण करेंगे। जस्टिस बारोवालिया बतौर न्यायाधीश मार्च 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

उधर जयराम सरकार ने पिछले तीन महीने से भी समय से खाली पडी मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर किसी को नहीं बिठाया। शुरू में इस कुर्सी पर मौजूदा मुख्य सचिव आर डी धीमान को बिठाने की अटकलें चली थी। लेकिन अचानक वह मुख्य सचिव बन गये। फिर लगा की जिन राम सुभग सिंह को मुख्य सचिव के पद से हटा कर धीमान को मुख्य सचिव बनाया गया है, उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जायेगा। लेकिन जयराम सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सचिवालय से जुडे सूत्रों के मुताबिक धीमान इस कुर्सी पर बैठने के चाहवान थे। वह दिसम्बर में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हो जायेंगे। लेकिन जयराम सरकार के सामने नया मुख्यसचिव किसे बनाया जाये यह आडे आ गया। पहले ही धीमान से तीन-तीन वरिष्ठ अधिकारी जयराम सरकार से खार खाये हुये हैं। राम सुभाग सिंह, निशा सिंह और संजय गुप्ता जो धीमान से वरिष्ठ थे को सरकार ने सलाहकार बनाया हुआ है।

हालांकि जयराम चाहते थे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना का मुख्य सचिव बना दिया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका और मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी खाली रह गयी। अब संभवत-अगली सरकार ही अपने किसी चहेते अधिकारी को इस पद पर बिठायेगी।

उधर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का पद भी खाली ही रह गया है। जयराम सरकार इस पद पर भी किसी की नियुक्ति नहीं कर पायी। अध्यक्ष के पद का कार्यभार आयोग के सदस्य रमेश गंगोत्र देख रहे है। पिछले दिनों उनके आयोग के सचिव पर एफआइआर दर्ज करा दी थी। उसके बाद आयोग के सचिव ने भी उन पर अदालत के जरिए एफआइआर दर्ज करा रखी है। दोनों ने एक दूसरे पर जातिसूचक शब्द बोलने और मारपीट के इल्जाम लगा रखे हैं।